न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 30/2023

अनवान : –

1. राजु पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 13/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता संख्या 185/120 की कुल 12.4820 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम राजुराम पुत्र मोमनराम दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वार्ड पार्षद द्वारा नाम के संबंध में तस्दीक प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी का नाम राजु पुत्र मोमनराम दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में राजुराम पुत्र मोमनराम के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम राजु पुत्र मोमनराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम राजुराम पुत्र मोमनराम के स्थान पर सही नाम राजु पुत्र मोमनराम दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित कि गई कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजुराम पुत्र मोमनराम दर्ज के स्थान पर राजू पुत्र मोमनराम किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम रा[illegible] मोमनराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजुराम पुत्र मोमनराम दर्ज [illegible] प्रार्थी [illegible] प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी [illegible] र पर राजस्व रिका[illegible] नाम जीताराम पुत्र मोमनराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का [illegible]दन किया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:19:03 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता संख्या 185/120 की कुल 12.4820 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थी अपना नाम राजुराम पुत्र मोमनराम के स्थान पर राजु पुत्र मोमनराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैनकार्ड एवं वार्ड पार्षद द्वारा प्रार्थी के नाम के संबंध मे तस्दीक प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम राजु पुत्र मोमनराम अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम राजुराम पुत्र मोमनराम के स्थान पर राजु पुत्र मोमनराम करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट एवं नाम के संबंध में वार्ड पार्षद की तस्दीक के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं वार्ड पार्षद की तस्दीक के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता संख्या 185/120 की कुल 12.4820 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिमसें **प्रार्थी का नाम राजुराम पुत्र मोमनराम के स्थान पर राजु पुत्र मोमनराम किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच राजुराम पुत्र मोमनराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का राजुराम पुत्र मोमनराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम राजुराम पुत्र मोमनराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:19:03 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
क्रमांक : सशोधन / 2023 / 1390 दिनांक : 21/12/23

तहसीलदार,
नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 30 / 2023 अनवानी राजु बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 30 / 2023
अनवान : –

1. राजु पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता संख्या 185 / 120 की कुल 12.4820 हैक्ट भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिमसें **प्रार्थी का नाम राजुराम पुत्र मोमनराम के स्थान पर राजु पुत्र मोमनराम किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच राजुराम पुत्र मोमनराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का राजुराम पुत्र मोमनराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम राजुराम पुत्र मोमनराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:19:03 IST
Reason: SelfAttested